न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

प्रकरण संख्या Raj-D- 24 / 2017 श्री श्रवण बनाम श्री सुरेश

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26–2–2018	अपील अन्तर्गत धारा–223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द दिनांक 08–09–2015 प्रकरण संख्या 152 / 2015 रेवेन्यू वाद ——— वकील उभयपक्ष उपस्थित। प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा पेश शुदा दफा–5 जाब्ता के आवेदन एवं शपथ पत्र के आधार पर मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है। प्रकरण में अपील मेमों, उभयपक्ष की बहस व अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकर्ड का अवलोकन कर बहस पर मनन करने से हम इस निष्कर्ष पर पहूंचे है कि अपीलान्ट के प्रमुख अपील उजर यह है कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध है। क्योंकि अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। अपीलान्ट ने अन्य खातेदार से भी जमीन खरीद कर कब्जा प्राप्त कर लिया था। इस कारण अपीलान्ट का दो हिस्सों का कब्जा था, परन्तु वह जमीन अपीलान्ट के खाते दर्ज नहीं हो सकी। अपीलान्ट के पिता का सम्मन तामिल नहीं हुआ था तथा उन्होंने कभी भी अमित सरूपरिया को अण्डर टेकिंग नही दी थी। हमारे द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय ने एक अधिवक्ता द्वारा अपीलान्ट के पिता हीरा की और से अण्डर टेकिंग दिये जाने को अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर 6–8–2015 को हस्ताक्षर है। उक्त अण्डर टेकिंग पर अविश्वास किये जाने के अथवा असत्य माने जाने के हमारे पास कोई आधार नहीं है। अपीलान्ट यह कहता है कि अमित सरूपरिया के हस्ताक्षर फर्द–अहकाम पर नहीं है। जबकि अधिवक्ता के हस्तलिपि में लघु हस्ताक्षर व अण्डर टेकिंग सुस्पष्ट रूप से अंकित है। तद्नुसार अपीलान्ट के पिता को सुनवाई का अवसर नही दिये जाने का तथ्य मान्य नहीं है। प्रकरण मं अपीलान्ट जहां तक किसी अन्य	

खातेदार से जमीन खरीदकर 2 हिस्सों पर अपीलान्ट का कब्जा होना बताता है, परन्तु आश्चर्यजनक रूप से वह किस अन्य खातेदार से भूमि क्रय की, कब की, किस प्रकार की, इस बाबत् न तो अपील मेमों में विवेचन किया है न ही इस बाबत् कोई साक्ष्य पेश की है। तद्नुसार अपीलान्ट का यह उजर प्रमाणित नहीं होने से मान्य नहीं है। प्रकरण में रेस्पोन्डेन्ट वादी द्वारा विभाजन का वाद पेश किया गया था, जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 8–9–2015 को हस्ब राजस्व रेकर्ड विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी करने में किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं की है।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायाल का निर्णय व डिक्री दिनांक 8–9–2015 यथावत रखा जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो।

पत्रावलियां बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 26–02–2018 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

प्रकरण संख्या Raj-D- 24 / 2017 श्री श्रवण बनाम श्री सुरेश

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

प्रकरण संख्या Raj-D- 24 / 2017 श्री श्रवण बनाम श्री सुरेश

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41. रूल 35 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत ..... **भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ**. .....मुकाम .....

उदयपुर व इजलास ..... **एल.एन. मंत्री आर.ए.एस.** .....

श्री गणेश लाल नागदा पिता श्री कालूलाल नादा निवासी पुला शोभागपुरा रोड़ पटवार मण्डल के पास शोभागपुा स्कूल के सामने तहसील गिर्वा जिला उदयपुर

बनाम

श्री भंवर लाल पिता श्री तेजपाल कटारिया निवासी 343 भोपालपुरा उदयपुर (राज0)
अन्य 10 व सरकार

अपील नं0 84 / 2012 बनाराजगी डिगरी अदालत ..... सहायक कलक्टर मु0..... ..... उदयपुर ..... मुकाम मुक्र्खे.....27..... माह .....02..... 1993

दावा बाबत

यह अपील व तारीख ..... 15..... माह .....06..... सन् 2016 रूबरू... पक्षकारान व हाजरी ....श्री सत्य प्रकाश व्यास ..... मिनजानिब अपीलान्ट व .....श्री संजय बोहरा .... रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि अतः अपील अपीलान्ट दूषित (Defectiv) होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 27–2–1993 यथावत रखा जाता है।

(खर्चा अपीली हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग ....X.... रूपये..... X .....अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का ..... X ..... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....15..... माह ...06..... 2016 को जारी किया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेसपोन्डेन्ट	रू0	रू0
1. स्टाम्प अपील ..... 2. स्टाम्प वकालत नामा..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान					

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खचार्ज अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

प्रकरण संख्या Raj-D- 24 / 2017 श्री श्रवण बनाम श्री सुरेश

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41. रूल 35 जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत ..... **भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ**. .....मुकाम .....
उदयपुर व इजलास ..... **एल.एन. मंत्री आर.ए.एस.** .....

श्री गांगा पिता देवा डांगी निवासी खेड़ी तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज0) अन्य –2	**बनाम**	श्री भंवर लाल पिता श्री कालूलाल निवासी गांव खेड़ी तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज0) अन्य–6

अपील मूत नं0 3 / 2015 बनाराजगी डिगरी अदालत .....भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी .....उदयपुर ..... मुकाम मुक्र्खे.....08..... माह .....07..... 2015

दावा बाबत

यह अपील व तारीख ..... 25..... माह .....05..... सन् 2016 रूबरू... पक्षकारान व हाजरी ....श्री मन्नाराम डांगी ..... मिनजानिब अपीलान्ट व .....श्री .... रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि ..... प्रकरण में वकील अपीलान्ट द्वारा पेश शुदा आवेदन दफा–152 जाब्ता दीवानी का अवलोकन किया गया तो यह पाया गया कि इस न्यायालय द्वारा जारी डिक्री अन्तर्गत प्रकरण संख्या 46 / 2004 निर्णय दिनांक 8–7–2010 में अंकित आराजी नं0 3261 रकबा 0.800 हैक्टर लिपिकीय / टंकण त्रुटि से गलत अंकित हो गया है। इसके स्थान पर आराजी नंबर 3231 रकबा 0.0800 हैक्टर अंकित किया जावे।

(खर्चा अपीली हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग ....X.... रूपये..... X .....अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का ..... X ..... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....14..... माह ...06..... 2016 को जारी किया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेसपोन्डेन्ट	रू0	रू0
5. स्टाम्प अपील ..... 6. स्टाम्प वकालत नामा..... 7. इजराय हुक्मनामा ..... 8. वकील फीस बाबत ..... मीजान					

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खचार्ज अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

प्रकरण संख्या Raj-D- 24 / 2017 श्री श्रवण बनाम श्री सुरेश